पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 31/2023

वादिया :

लिछमा पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी तहसील नोहर हाल निवासी गांव [illegible] तहसील भादरा।

:— वादीया

बनाम

1. भूराराम पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र हरदत्त जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
3. राजू पुत्र गोरखा जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
4. बलबीर पुत्र ईशर जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
5. लिछमण पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीया श्री नवीन कुमार गोयल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सन्दीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीया साबित होने के कारण मुताबिक अर्जीदावा तथा रिपोर्ट तहसीलदार नोहर के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा नुवां के खाता सं0 70/70 के खसरा संख्या 69/1 की 2.529 है0 बारानी वादभूमि में वादिया के पिता डूंगर पुत्र मोती के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादभूमि में वादिया के पिता डूंगर पुत्र मोती का नाम कलमजन कर वादिया लिछमा को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादिया द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छुपाया हो या किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच डूंगर पुत्र मोती या डूंगर पुत्र रोड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में डूंगर पुत्र मोती या डूंगर पुत्र रोड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए डूंगर पुत्र मोती जाति मेघवाल निवासी जैतासरी नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी।

यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:42 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 31/2023

उनवान :

लिछमा पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी तहसील नोहर हाल निवासी गांव धोलपालिया तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. भूराराम पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र हरदत्त जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
3. लालू पुत्र गोरखा जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
4. बलबीर पुत्र ईशर जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
5. लिछमण पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी गांव जैतासरी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक़

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नवीन कुमार गोयल : वादी

वकील श्री सन्दीप गोदारा : प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

निर्णय

दिनांक:- 10.06.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा नूवां के खाता सं0 70/70 के खसरा संख्या 69/1 की 2.529 है0 बारानी वादभूमि में वादिया के पिता के नाम दर्ज है जिसमें वादीया के पिता का नाम डूंगर पुत्र मोती जाति मेघवाल निवासी जैतासरी तहसील नोहर दर्ज है। वादभूमि में वादीया के पिता का नाम डूंगर पुत्र मोती दर्ज है जबकि वादीया के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में ग्राम पंचायत ललाना द्वारा डूंगर पुत्र मोती की बजाय डूंगर पुत्र रोड़ाराम दर्ज कर दिया गया । जिससे वादिया अपने पिता डूंगर की कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल अपने नाम दर्ज नहीं करवा पा रही है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 जरिये वकील हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथा 6 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया।

तहसीलदार नोहर के पत्रांक रीडर/2025/264 दिनांक 08.04.2025 द्वारा डूंगर पुत्र मोती तथा डूंगर पुत्र रोड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी तहसील नोहर एक ही व्यक्ति के नाम होने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में लिछमा पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी तहसील नोहर हाल निवासी गांव धोलपालिया तहसील भादरा के बयान [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा नुवां खाता संख्या 70/70 सम्वत 20[illegible]79 [illegible] 1, जमाबंदी रोही मौजा नूवां खाता संख्या 177/186 संवत 2076 प्रदर्श 2, [illegible] वारिसान लिछमा प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ललानाबास [illegible] प्रदर्श 4, आवेदन पत्र विरासतन नामान्तरण प्रदर्श 5, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, [illegible]स प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ललाना बास प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीया के पिता डूंगर पुत्र मोती की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम पंचायत ललानाबस द्वारा वादिया के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र डूंगर पुत्र मोती की बजाय डूंगर पुत्र रोड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी तहसील नोहर के नाम से जारी कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादभूमि में वादिया के पिता का नाम डूंगर पुत्र मोती दर्ज है जबकि उसके अन्य दस्तावेजात में उसका नाम डूंगर पुत्र रोड़ाराम दर्ज है। इस बाबत तहसीलदार नोहर के पत्रांक रीडर/2025/264 दिनांक 08.04.2025 द्वारा डूंगर पुत्र मोती तथा डूंगर पुत्र रोड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी तहसील नोहर एक ही व्यक्ति के नाम होने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस प्रकार मुताबिक जवाबदावा व रिपोर्ट तहसीलदार नोहर वाद वादीया डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीया ने अपने पिता के नाम दर्ज वादभूमि को अपने नाम दर्ज करवाने बाबत वाद पेश किया। वादीया ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 7 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मोजा नूवां के खाता सं0 70/70 के खसरा संख्या 69/1 की 2.529 है0 बारानी डूंगर पुत्र मोती के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में डूंगर पुत्र मोती का नाम कलमजन किया जाकर वादिया को खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अर्जीदावा तथा रिपोर्ट तहसीलदार नोहर के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अर्जीदावा तथा रिपोर्ट तहसीलदार नोहर के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा नूवां के खाता सं0 70/70 के खसरा संख्या 69/1 की 2.529 है0 बारानी वादभूमि में वादिया के पिता डूंगर पुत्र मोती के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादभूमि में वादिया के पिता डूंगर पुत्र मोती का नाम कलमजन कर वादिया लिछमा को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादिया द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छुपाया हो या किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच डूंगर पुत्र मोती या डूंगर पुत्र रोड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में डूंगर पुत्र मोती या डूंगर पुत्र रोड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जैतासरी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए डूंगर पुत्र मोती जाति मेघवाल निवासी जैतासरी नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी।

यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:42 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रै.) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner